न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट अभियान ''न्याय आपके द्वार शिविर'' 2017
अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मंमाणा, तहसील दूदू
शिविर प्रभारी – **श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.**

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 58/2014

प्रार्थना–पत्र दायरी दिनांक : 25/06/2014

निर्णय दिनांक : 08/05/2017

सुज्या पुत्र रामदेव, जाति बलाई, निवासी बोकडावास, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

–– प्रार्थी

बनाम

1. पूरणदास पुत्र मनोहरदास, जाति बलाई, निवासी प्लाट नम्बर 179, नया प्रताप मार्ग, सिंहभूमि खातीपुरा, जयपुर, राज0।
2. सुखाराम पुत्र रामदेव, जाति बलाई, निवासी बोकडावास, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
3. हरलाल पुत्र पांचू, जाति बलाई, निवासी बोकडावास, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
4. मोहन पुत्र रामदेव, जाति बलाई, निवासी बोकडावास, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
5. रामनिवास पुत्र रामदेव, जाति बलाई, निवासी बोकडावास, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
6. रामस्वरूप पुत्र रामदेव, जाति बलाई, निवासी बोकडावास, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
7. रूघनाथ पुत्र रतना, जाति बलाई, निवासी गांधी की ढाणी, दांतडा, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
8. पूसा पुत्र रतना, जाति बलाई, निवासी गांधी की ढाणी, दांतडा, तहसील दूदू जिला जयपुर, राज0।
9. हनुमान पुत्र छोटु, जाति बलाई, निवासी गांधी की ढाणी, दांतडा, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
10. गोपाल पुत्र छोटु, जाति बलाई, निवासी गांधी की ढाणी, दांतडा, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

11. तहसीलदार, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

12. राजपाल | पुत्रान चन्दा, जातियान बलाई, निवासीगण
13. सत्यनारायण | बोकडावास, तहसील दूदू जिला जयपुर
14. श्योजी | राजस्थान।

— — अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र बाबत पत्थगरढी
(अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम–1956)

उपस्थिति – श्री गिरधारी लाल वर्मा
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी

अप्रार्थी संख्या 11 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 08/05/17

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत करवाये जाने पत्थरगढी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 के अनुसार खाता संख्या 19 के आराजी खसरा नम्बर 412 रकबा 0.0800 हैक्टेयर गै.मु. पाल, खसरा नम्बर 413 रकबा 0.4700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 417 रकबा 0.9700 हैक्टेयर, कुल किता 03 कुल रकबा 1.5200 हैक्टेयर, खाता संख्या 128 के आराजी खसरा नम्बर 544 रकबा 3.7900 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 3.7900 हैक्टेयर, खाता संख्या 73 के आराजी खसरा नम्बर 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 92, 116, 117, 118, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 414, 415, 416, 435 हैक्टेयर कुल किता 29 कुल रकबा 24.3200 हैक्टेयर वाके ग्राम बोकडावास, तहसील दूदू, जिला जयपुर में स्थित है, जिसमें खाता संख्या 19 में प्रार्थी 1/2 हिस्से का एवं खाता संख्या 128 में प्रार्थी सम्पूर्ण हिस्से का एवं खाता संख्या 73 में प्रार्थी 1/16 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एंव मौके पर काबिज काश्त हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 विवादग्रस्त आराजीयात के पडौसी काश्तकार हैं। प्रार्थी के खेत की मेर सींव के सम्बन्ध में आये दिन विवाद होते रहते हैं। पडौसी खातेदार काश्तकार अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 प्रार्थी की आराजी को लेकर विवाद हैं। आये दिन मेर सींव को लेकर पडौसी खातेदार काश्तकारों से विवाद नहीं हो इसलिये प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। इसलिये उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

पेश करना आवश्यक हुआ है ताकि सीमा सम्बन्धी विवाद भी समाप्त हो सकें। तहसीलदार साहब, तहसील दूदू के आदेश कमांक/एल.आर./219 दिनांक 22/05/2012 की पालना में पटवार हल्का द्वारा दिनांक 31/05/2012 को सीमाज्ञान करवाये जाने के पश्चात भी अप्रार्थीगण सीमाज्ञान को मानने को तैयार नही हैं तथा सीमा को लेकर आये दिन विवाद उत्पन्न करते रहते है, जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि ''अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से सादर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त आराजीयात वाके ग्राम बोकडावास, तहसील दूदू, जिला जयपुर की सीमाओं पर पत्थरगढी करने के आदेश तहसीलदार दूदू को प्रदान कर पालना करवाई जाने की कृपा करावें।''

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गयी। दिनांक 20/08/2014 को प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र पक्षकार बनाने व संशोधित टायटल पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 08/12/2015 को अप्रार्थी संख्या 11 की ओर से जवाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

दिनाक 08/05/2017 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत एवं कैम्प कोर्ट शिविर ''न्याय आपके द्वार'' मुकाम मंमाणा में पेश हुई, जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 11 पैरोकार उपस्थित हुये, शेष अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 व 12 लगायत 14 उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी तथा पैरोकार राज की बहस में सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार राज की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 31/05/2012, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 19 वाके ग्राम बोकडावास, पटवार मण्डल जडावता, भू अभि0 निरी0 क्षैत्र साली, तहसील तत्समय मौजमाबाद हाल तहसील दूदू के खसरा नम्बर 412, 413, 417 कुल किता 03 कुल रकबा 1.52 हैक्टेयर में प्रार्थी 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार हैं। चुंकि उक्त खाते में अन्य सहखातेदार राजपाल, सत्यनारायण, श्योजी पुत्रान चन्दा द्वारा प्रार्थना पत्र में बाबत् पत्थरगढ़ी प्रार्थना नहीं

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

की गयी है। अतः उक्त खाते में अंकित आराजीयात की पत्थरगढ़ी करवाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित खाता संख्या 128 वाके ग्राम बोकडावास, पटवार मण्डल जडावता, भू अभि0 निरी0 क्षैत्र साली, तहसील तत्समय मौजमाबाद हाल तहसील दूदू के खसरा नम्बर 544 रकबा 3.7900 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 3.7900 हैक्टेयर का प्रार्थी चुंकि एकमात्र् खातेदार काश्तकार है। अतः उक्त वर्णित खसरा नम्बर 544 की पत्थरगढ़ी के आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है। इसी प्रकार प्रार्थी द्वारा वर्णित खाता संख्या 73 वाके ग्राम बोकडावास, पटवार मण्डल जडावता, भू अभि0 निरी0 क्षैत्र साली, तहसील तत्समय मौजमाबाद हाल तहसील दूदू के खसरा नम्बर 42 लगायत 49, 92, 116 लगायत 118, 286, 292 लगायत 301, 414 लगायत 416, 435 कुल किता 29 कुल रकबा 24.3200 हैक्टेयर में प्रार्थी का हिस्सा 1/16 अंकित होना स्पष्ट होता है। चुंकि प्रार्थी उक्त वर्णित आराजीयात का संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है एवं नियमतः संयुक्त खातेदारी में अवस्थित भूमि की पत्थरगढ़ी तब ही करवाया जाना सम्भव है, जब उक्त प्रार्थना पत्र उक्त खाते के समस्त खातेदारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, परन्तु प्रकरण में ऐसा नहीं होना पाया जाता है। अतः प्रार्थी का उक्त खाता संख्या 128 में वर्णित आराजीयात की पत्थरगढ़ी करवाये जाने की प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दूदू को आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 544 रकबा 3.79 हैक्टेयर वाके ग्राम बोकडावास, तहसील दूदू का सीमाज्ञान कर सीमाओं पर पत्थरगढी की कार्यवाही करें। उक्तानुसार तहसीलदार दूदू निर्णय की पालना करावें तथा आवश्यकता पडने पर पुलिस इमदाद स्वंय प्राप्त करें। प्रार्थी द्वारा अन्य आराजी बाबत चाहा गया अनुतोष खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/05/17 को मजमा ए आम अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मंमाणा में सुनाया गया।

मुद्रा

शिविर प्रभारी / उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner